न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–6/ विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट),
लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–338/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2397/2026
CNR UPLP01–005155–2026

1–आरिफ उम्र लगभग 51 वर्ष पुत्र अली हुसैन
2–छुटन्न उर्फ रम्पत उर्फ रफीक उम्र लगभग 39 वर्ष पुत्र अली हुसैन
निवासीगण ग्राम रामनगर लहबड़ी, थाना धौरहरा, जिला खीरी।

––––आवेदकगण/ अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र० राज्य ––––––––––– अभियोगी।

मु०अ०सं०–252/2017
अं०धारा–2/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1986
थाना–धौरहरा, जनपद–खीरी।

दिनांक 20–07–2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/ अभियुक्तगण आरिफ व छुटन्न उर्फ रम्पत उर्फ रफीक की ओर से मु०अ०सं०–252/2017 अं०धारा–2/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–धौरहरा, जनपद–खीरी के मामले में प्रस्तुत किया गाया हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ या अन्य किसी सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्तगण ने अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष है, उन्होंने कथित अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते है। प्रार्थीगण किसी गिरोह के सदस्य या सर–गना तथा अपराधकर्ता नहीं रहे है तथा प्रार्थीगण से किसी को जान व जायदाद का कोई खतरा नहीं है। जनैतिक दलबन्दी के कारण मु0 अ 0 सं0–58/2017 अन्तर्गत धारा–3/5 क/8 गोवध अधिनियम थाना धौरहरा जिला खीरी में प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण उक्त मुकदमे की घटना कारित नहीं की है और न ही किसी प्रकार शामिल हुये है। गैंग चार्ट में वर्णित मात्र एक मुकदमें के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध तथा कथित अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेंगे। प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्राप्त होने के उपरान्त गवाहों को डराने धमकाने का कोई खतरा नहीं है। प्रार्थीगण अग्रिम जमानत प्राप्त होने के उपरान्त देश छोडकर नहीं जायेंगे। प्रार्थीगण अग्रिम जमानत प्राप्त होने के बाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रार्थीगण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यदि पुलिस द्वारा असत्य प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, तो प्रार्थीगण की प्रतिष्ठा धूमिल होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रभारी बृजेश कुमार त्रिपाठी मय हमराही SI श्री सुनीत कुमार व R/C सचिन कुमार के वान्ते देखभाल क्षेत्र एंव शान्ति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में मामूर था, तो ग्राम रामनगर लहबडी के क्षेत्रवासियो से मुलाकात हुयी, बातचीत के दौरान उन्होने बताया कि रामनगर लहबडी के आलम का एक संगठित गिरोह है, जिसके गिरोह मे रहीश, रसीद, मुसीर, जुबेर, बाबर, आरिफ,

छुट्टन उर्फ रम्पत उर्फ रफीक, खलील, अहमद अली, बेहुरहमान, बोदें उर्फ आरिफ, मुस्लिम, शाकिर, मो० अयूब, शब्बीर, मो० मोहसिन, मुन्ना उर्फ शोएब, जियाउल हक व जाबिर सक्रिय सदस्य है। वह स्वंय के व गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। उपरोक्त गैंग का पूरे जनमानस मे इतना भय व आतंक व्याप्त है कि इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने एंव मुकदमा पंजीकृत कराने का साहस नही कर पाता है। उक्त गैंग के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०–58/2017 धारा 3/5क/ 8 गोवध निवा० अधि० व 4/25 A.Act पजीकृत होकर विवेचना से पर्याप्त पुष्टिकारक साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं०–25A/17 दि०–23/03/2017 मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है। उक्त गैंग का स्वच्छन्द विचरण आम जनमानस व समाज के लिए हितकर नहीं है। गैंग लीडर आलम व इसके गैंग के सदस्यो हारून आदि 07 नफर के विरूद्ध गैगचार्ट तैयार कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय खीरी से अनुमोदन कराया जा चुका है।

प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) के तर्कों को सुना तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्तगण आरिफ व छुटन्न उर्फ रम्पत उर्फ रफीक के सक्रिय सदस्य है। गैंगचार्ट तथा अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त गैंग समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त होकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवध जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। गिरोह की सक्रियता जनपदीय है। अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दण्डनीय अपराध है। यह मामला विशेष अधिनियम से संबंधित है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अपराध की प्रकृति, गम्भीरता व उसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण आरिफ व छुटन्न उर्फ रम्पत उर्फ रफीक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–338/2026, मु०अ०सं०–252/2017, अं० धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–धौरहरा, जिला–लखीमपुर खीरी निरस्त किया जाता है।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6,
लखीमपुर–खीरी।
JO CODE–UP1561

दिनांक: 20–07–2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.20 17:08:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court